

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक बदलाव सम्बन्धी विचार एवं वर्तमान आर्थिक, राजनितिक परिदृश्य में आवश्यकता

संजना यादव¹ एवं डॉ० लक्ष्मीना भारती²

¹शोध—छात्रा, राजनीति विज्ञान, डॉ० भीम राव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, फतेहपुर (सम्बद्ध— प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

²प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, डॉ० भीम राव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, फतेहपुर (सम्बद्ध— प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज)

Received: 20 August 2025 Accepted & Reviewed: 25 August 2025, Published: 31 August 2025

Abstract

किसी भी समाज का विकास तब रुक जाता है जब रुढ़ियों और ऐसी पुरानी परम्परायें समाज के पाँव में वेडियों का काम करती हैं। आज भी कई देश हैं जहाँ पर ऊँच नीच का भेदभाव, लैंगिक असमानता, गोरे—काले में भेद मिलता है और जब ऐसे समाज में व्यक्ति अपने—अपने वास्तविक अधिकारों से अछूता रह जाता है तो समाज और देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है वर्तमान में दिख रहा यह भेदभाव आज की देन नहीं है। यह सदियों से चली आ रही कुप्रथा है। आज २१वीं सदी में जबकि शिक्षा, विज्ञान और तकनीक ने अपना विकास इतना कर लिया है की अंतरिक्ष पर भी मानव का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है लेकिन इन सब से क्या ? क्या हमारा समाज अपनी उन दो कौड़ी की रुढ़िवादी कुरीतियों से बहार निकल पाया है। शायद इसका उत्तर नहीं होगा। किसी समाज, राज्य के निर्माण की मूल इकाई व्यक्ति होता है और व्यक्ति से परिवार, परिवार से कबीला, कबीला से समाज तथा समाज के विभिन्न रूप— सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक। इन सबको संगठित होकर एक राज्य का निर्माण करना होता है और वह राज्य की विशेषता को दर्शाता है। अगर किसी समाज में सामाजिक असमानता है तो वहाँ पर विकास होना मुश्किल है क्योंकि वृक्ष के सिर्फ एक शाखा के विकास से वृक्ष की सुन्दरता नहीं दिखाई देती है। वृक्ष अपनी परम सुन्दरता में तभी होगा जब उसकी सभी शाखाएं हरी—भरी और स्वस्थ हों ऐसे ही समाज है। जब तक लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, के आधार पर समाज में एकरूपता नहीं होगी, व्यक्ति को अवसर की समानता नहीं मिलेगी कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है।

शब्द कुंजी— संविधान, समाज, विचार, समानता, अवसर, परिवर्तन, प्रगति, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, औद्योगिक क्रांति, समुदाय, आरक्षण, अनुच्छेद, वर्ण, जाति, जागरूकता

Introduction

न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है — डॉ. भीमराव अम्बेडकर

राजनीति किसी भी देश को चलाने का यंत्र है, इस यंत्र से देश का शासन—प्रशासन कार्य करता है तथा इसके द्वारा अपने समाज, देश को चलाना और विकास करना होता है। परन्तु राजनीति कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको कुछ लोग मिलकर कर सकते हैं। राजनीति में प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राज्य के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य और अधिकार बनता है कि उसमें भाग लें। जिस देश में वहाँ के नागरिक भाग नहीं लेते वह राज्य निरंकुश होता है और वहाँ के नागरिक खुश नहीं होते। ऐसे कई राज्य रहें हैं जहाँ पर लोगो की हिस्सेदारी नहीं थी और अपने—अपने अधिकारों के लिए वहाँ के वंचित वर्गों को एक लम्बा

संघर्ष करना पड़ा। अगर समाज में लोगों की मूल आवश्यकता और विकास के लिए जरूरी तत्व की बात करें तो वह है आर्थिक मजबूती। आर्थिक रूप से मजबूत समाज अपनी उन्नति कर सकता है तथा आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए समाज में सभी नागरिक को अवसर की समानता मिलनी चाहिए ? समाज में व्याप्त ऐसी कई समस्याएँ विकास में रुकावट डालती रही हैं। लेकिन ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई महान विभूतियों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं। ऐसी समस्याओं से भारत अछूता नहीं है और वर्तमान में भी ये समस्याये समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी भारत की स्थिति ऐसी है कि समानता उनके लिए स्वप्न सा लगता है। भारत में अनेकोनेक विद्वानों ने अपने अथाह प्रयास से समाज को नई दिशा देने का कार्य किया और उनमें से एक हैं डॉ. भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने अपने जीवनकाल में उपर्युक्त सभी समस्याओं का सामना किया और उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्हें पता था कि जब तक समाज से ऐसी बेड़िया नहीं टूटेंगी तबतक देश की वास्तविक स्वतंत्रता सम्भव नहीं है। आज भी ऐसी बेड़िया लोगों की मानसिकता को जकड़े हुए है। भारत में शिक्षा, सम्पन्ता का स्तर बढ़ने पर भी हमारा समाज गुलाम है— रूढ़िवादी कुरीतियों, छुआछूत, पिछड़ेपन का। इसके लिए बाबा साहेब का विचार वर्तमान में नयी रोशनी व प्रकाश की तरह सहयोग करेंगे इसके लिए उनके विचारों की वास्तविकता का अध्ययन करना होगा। उसके वगैर उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप में नहीं ला सकते हैं। इसके सम्पूर्ण अध्ययन से ही हम उनके सही मार्गदर्शन को अपना सकते हैं और अपने समाज व देश को एक नयी दिशा दे सकते हैं।

समरसता, समानता एवं कर्तव्यनिष्ठा की प्रतिमूर्ति, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत देश के संविधान रचयिता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन्त विचारों की आवश्यकता हमें वर्तमान व भविष्य में सदैव मार्गदर्शन प्रदान कराती रहेगी डॉ. अम्बेडकर परिस्थितियों से समझौता करने वाले विद्वान नहीं थे। उन्हें कर्म, शिक्षा और नैतिकता पर भरोसा था। देश की सामाजिक, आर्थिक, और राजनीति की दयनीय स्थिति को शिक्षा से बदला जा सकता है। सामाजिक और राजनितिक न्याय के लिए अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों को संगठित किया। वे स्वयं ही अस्पृश्य जाति में जन्मे थे जिसका दुष्परिणाम उन्हें यह मिला कि अपने अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा और इन्हीं संघर्षों को झेलते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण की क्योंकि उन्हें भलीभाँति ज्ञात था कि शिक्षा से ही हम अपने अधिकार पा सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं और यह मांग करते हैं कि समाज में सभी मनुष्य के गरिमा का ध्यान रखते हुए उनमें जाति, लिंग, वर्ण, धर्म और स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाय। किसी भी प्रकार का शोषण जिससे व्यक्ति की गरिमा को क्षति पहुँचती है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।

जब भी आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर चर्चा हो तो डॉ. अम्बेडकर का जिक्र न हो ऐसा सम्भव नहीं है और न ही न्याय होगा। डॉ. अम्बेडकर का जन्म जिस जाति में हुआ है वह हिन्दू वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे निम्न माना जाता था इसलिए उन्हें समाज में समानता पाने के लिए जन्म से और जीवन प्रयत्न संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके द्वारा दिए सामाजिक विचारों में हमें दलित, वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय को पाने का कठोर प्रयत्न दिखाई देता है। उनका वास्तविक स्वप्न था कि समाज ऐसा हो जहाँ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार समाहित हों। वे कहा करते थे कि जाति व्यवस्था उत्तम समाज निर्माण में घातक है। डॉ. अम्बेडकर के आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालें तो कहा जा सकता है कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक, राजनितिक भागीदारी सम्भव नहीं होगी।

डॉ. भीमराव का पसंदीदा विषय अर्थशास्त्र था। उन्होंने स्नातक से ही अर्थशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अध्ययन किये परन्तु १९२३ में भारत वापस आने के बाद देश की सामाजिक एवं राजनितिक

व्यवस्था को देखते हुए, उस व्यवस्था को बदलने में पूरा जीवन लगा दिए। बाबा अम्बेडकर आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यवहारिक सोच रखते थे। उनका मानना था कि भारत में पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि व्यवस्था के बदलाव में देरी है तथा इसका समाधान बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा ही आर्थिक कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट सम्भव होगा। डॉ. अम्बेडकर बड़े उद्योगों की वकालत करते थे और कृषि को समाज की रीढ़ की हड्डी माना। औद्योगिक क्रांति पर जोर देने के साथ ही उनका यह भी कहना था कि कृषि को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि कृषि से ही भारत की बढ़ रही जनसंख्या को भोजन व उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है। डॉ. अम्बेडकर के राजनितिक विचार उनके सामाजिक, आर्थिक विचार के साथ ही जुड़ी है और वो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का आर्थिक उत्थान सामाजिक और राजनितिक उत्थान के बिना नहीं हो सकता। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा समाज राजनितिक रूप से सक्रीय नहीं हो सकता और कोई भी निष्क्रिय समाज का विकास किसी भी दिशा में होना असंभव है जिससे उसकी सकारात्मक प्रगति हो सके।

प्रगतिशील और सर्वसमावेशी सोच की झलक इस बात से भी मिलती है कि उन्होंने आरक्षण जैसी व्यवस्था को जारी रखने के लिए हर दस वर्ष के बाद आंकलन-विश्लेषण का प्रावधान रखा था। यह जाति, वर्ग समुदाय से देशहित को ऊपर रखने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता से ज्यादा सामाजिक स्वतंत्रता पर बल दिया। महिलाओं को उनके अधिकार के लिए आर्टिकल ४४ का प्रावधान, संविधान में उनकी एक समतावादी विचारधारा को दर्शाता है।

किसी भी समाज को विकसित तब कहा जाता है जब उस समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय स्थापित होता है। अगर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर विषमता देखी जाती है तो वह समाज कही न कही पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया है, भारत सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और भारत का सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक शोषण होता रहा। इस शोषण का कारण एकता में कमी, अशिक्षा व जागरूकता का अभाव था। भारत की स्थिति आजादी के पूर्व तक विषमतापूर्ण थी और विरोधाभास भरा था जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। भारत में फैली इन विषमताओं व निम्न पिछड़ों को समान सम्मान दिलाने के लिए अनेक विद्वानों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें से एक हैं, डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। इनके अथक व संघर्षपूर्ण प्रयास द्वारा भारत की दशा व दिशा दोनों में बदलाव आया जबकि डॉ. भीमराव के समक्ष स्वयं ही ये सारी समस्याएं थी। डॉ. भीमराव के जीवन पर दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और यही नहीं अपने इस कठिनाई से भरे जीवन में स्वयं को योग्य भी बनाया। मध्यप्रदेश के महु में जन्में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल स्वयं अंग्रेज सेना में सूबेदार थे। उन्हें अंग्रेजी हुकूमत द्वारा सारी सुविधाएँ मिलते हुए भी अन्याय का सामना करना पड़ा जिसका प्रभाव उनके मन और मस्तिष्क पर इस कदर पड़ा कि बाल्यावस्था से ही इस व्यवस्था को बदलने का प्रण ले डालें।

डॉ. अम्बेडकर एक विख्यात कानूनविद थे उन्हें शिक्षा ही वह माध्यम लगा जिससे समाज में फैली विषमता को बदला जा सकता है और शिक्षा के द्वारा ही समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकें। डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक विचारधारा से भारत ने आजादी के बाद बहुत बदलाव किया है। समाज में लैंगिक, जातीय व वर्ण के आधार पर फैली विषमता से दुखी अम्बेडकर जी ने संविधान में ऐसे प्रावधान किये हैं जिससे भारत से यह अभिशाप मिट जाये। इनका यह प्रयास संविधान में मौजूद प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीतिनिदेशक तत्व में देखने को मिलता है। भारत का प्रशासन संविधान से ही चलता है और समय-समय पर सरकार बदलती रही, अपने-अपने स्तर से उन सरकारों ने पिछड़ों व वंचित लोगों के लिए

अनेकों कार्य किये। अगर एक दृष्टि संविधान पर डालें तो कई अनुच्छेद हैं जो समाज में विषमता को मिटाने के लिए हैं। अनुच्छेद १५, १७, ४६ सामाजिक समानता की बात करता है। जहां अनुच्छेद १५— सामाजिक न्याय दिलाता है, वहीं अनुच्छेद १७— अस्पृश्यता समाप्त करने की बात करता है तथा अनुच्छेद ४६ (नीति निदेशक तत्व) अनुसूचित जातियों व जनजातियों का राज्य द्वारा शिक्षा व आर्थिक सहायता के लिए विशेष ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। १९८६ अत्याचार निवारण अधिनियम बना दलितों व आदिवासियों के खिलाफ हिंसा व अपमान के कृत्यों को दंडित करने के लिए बना। महिला सुरक्षा अधिनियम, दहेज निषेध एक्ट १९६१ जैसे अनेको कानून है जो सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक न्याय की बात करता है। लेकिन विभिन्न अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बहुत सारी योजनायें व कानून को लोग जानते ही नहीं हैं। उनमें जागरूकता की कमी है, इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। सभी को मिलकर कार्य करना होगा। शीर्ष पर बैठा शासक अकेले विकास नहीं कर सकता इसके लिए धरातल से जुड़ा हर एक छोटा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान व गाँव के निवासी, वि।ार्थी, शिक्षक, प्राइवेट संस्थान सभी में देश व समाज को विकसित करने की जद्दोजहद होनी चाहिए। संविधान व राजनितिक अधिकारों से सामाजिक बदलाव किया जा सकता है। भारत के संविधान में ऐसे बहोत से अनुच्छेद हैं जो सामाजिक, राजनितिक व आर्थिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं। इन सभी अधिकारों का महत्त्व तबतक सार्थक नहीं हो सकता जबतक इसका व्यावहारिक रूप में प्रयोग न किया जाये और भारत के सभी वंचित, पिछड़ों को मूलधारा में न जोड़ा जाये। डॉ.अम्बेडकर जी का स्वप्न यही था कि जबतक सभी मूलधारा में नहीं आयेंगे तबतक भारत का उत्थान एक स्वप्न ही होगा। अब वह समय आ गया है कि बाबा साहेब के स्वप्न को पूर्ण किया जाये क्योंकि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है, उसके पास प्रौद्योगिकी, उद्योग, मशीनीकरण, तकनीक, परमाणु क्षमता, शैक्षिक स्थिति, सभी में विकसित देशों को टक्कर दे रहा है। अगर भारत के नागरिक आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक दृष्टि से रहेंगे तो यह भारत के नागरिकों के लिए न्याय नहीं होगा। इस स्थिति को बेहतर करने के लिए सभी को एकजुट होना होगा।

अध्ययन के उद्देश्य—

- प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य डॉ.भीमराव के सामाजिक कार्यों का अध्ययन व उसे वर्तमान समय में अधिक उपयोगी बनाना।
- डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक स्थिति एवं उनके द्वारा किये गये सामाजिक बदलाव की रूपरेखा का धरातल पर व्यावहारिक प्रयोग करना।
- डॉ. अम्बेडकर के वैचारिक प्रासंगिकता एवं वर्तमान आर्थिक—राजनितिक स्वरूप में उनके विचारों का उपयोग।

अनुसन्धान पद्धति— प्रस्तुत शोध आलेख वर्णात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकृति का है। इस आलेख में द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग किया गया है साथ ही जीवन वृत्तांत एवं दार्शनिक विधि को अपनाया जायेगा। इस शोध आलेख में विभिन्न पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, अनेक वेबसाइट का प्रयोग हुआ है।

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक बदलाव सम्बन्धी विचार (विशेष आर्थिक—राजनितिक परिदृश्य) का वर्तमान में प्रासंगिकता —

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक विचार— डॉ. अम्बेडकर सदैव ही सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष करते रहें और अपना सम्पूर्ण जीवन भारत के लोगों की सामाजिक स्थिति को सुधारने में लगा दिए। बाबा साहेब

विद्यालयी शिक्षा लेने के समय से सामाजिक भेदभाव के शिकार होते रहें, विद्यालय में उन्हें सार्वजनिक पेयजल का उपयोग वर्जित था, मंदिरों में प्रवेश वर्जित था व सभी विद्यार्थियों के साथ बैठकर शिक्षा लेना उनके लिए आसान नहीं था। स्वयं पर हुआ यह सामाजिक भेदभाव उन्हें यह सोचने पर विवश किया कि समाज का अगर यही हाल रहा तो देश को मजबूत नहीं किया जा सकता है। देश का आजाद होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लोगो को स्वयं के संकीर्ण विचारों की गुलामी से स्वतंत्र होना होगा। उन्होंने भारत की वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक बताया और इसे मानव की गरिमा पर आघात कहा। वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक कमजोर समाज को जन्म देता है जिसके परिणाम आपस में लोगो के बीच वर्ण व जाति के नाम पर संघर्ष होता रहता है। अगर सामाजिक स्थिति को मजबूत नहीं करेंगे तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की कल्पना बेमानी होगी तथा ऐसा समाज दूर-दूर तक प्रगति नहीं कर सकता, समाज में लोगो को उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्मों से जाना जाना चाहिए। अगर ऐसी भेदभावपूर्ण व्यवस्था समाज में व्याप्त है तो संकीर्ण, अत्याचारपूर्ण व गरिमाहीन समाज ही बनेगा। ऐसी व्यवस्था को दूर करने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता व न्याय की व्याख्या की है जिससे देश के नागरिक को गरिमामय जीवन प्राप्त हो सके।

डॉ. अम्बेडकर के राजनितिक विचार— उनके द्वारा राजनीति में लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। उनका विश्वास था कि जबतक लिंग, वर्ण, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त नहीं किया जायेगा तबतक राजनितिक अधिकार व स्वतंत्रता का उचित प्रयोग नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक जागरूकता व चेतना की आवश्यकता है। आज राजनीति सिर्फ वोट बैंक का माध्यम बनी है और चुनाव पूर्व लोकलुभावने प्रचार द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। सत्ता प्राप्ति के बाद सारे वादों व शर्तों को भूल जाते हैं। राजनीति में आम जनता का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि शासक से प्रश्न करना, उन्हें घेरे में लेना क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और भारत की जनता संप्रभु है। जैसा कि भारत की प्रस्तावना की शुरुआत ही “हम भारत के लोग” से होती है। उनका मानना था कि भारत के नागरिकों को अपने अधिकार का ज्ञान तबतक नहीं हो सकता जबतक वह शिक्षित नहीं होंगे। शिक्षा ही वह हथियार है जिससे आम नागरिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है।

आर्थिक क्षेत्र में डॉ.अम्बेडकर के विचार— गरीबी, बेरोजगारी और दरिद्रता का वो दौर जिसे डॉ. अम्बेडकर ने बहुत करीब से देखा था। भारत में श्रम शोषण, अकुशल आर्थिक व्यवस्था वह युग जिसके साक्षी रहे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने दर्द को The Problem of the Rupee 15 Origin and its Solution नामक अपने लेख में वर्णित किया है। एक ही कार्य को करने पर जाति, धर्म व वर्ण के आधार पर असमान श्रम का आय मिलना बहुत ही शर्मनाक स्थिति को दर्शाता है। भारत का एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है परन्तु कृषि करने के लिए उपयोगी तकनीकी व मशीनरी का आभाव पिछड़ेपन का कारण है। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि कृषि को वैज्ञानिक तरीके से किया जाये, जिससे श्रम व समय की बचत व उत्पादकता अधिक हो। वे चाहते थे कि भारत सरकार को देश की कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए हर प्रकार का सम्भव प्रयास करना चाहिए क्योंकि कृषि भारत का आधार है। उनके द्वारा अनेक सुझाव दिये गये जिसका प्रयोग भारत की कृषि व्यवस्था के लिए लाभकारी हुआ भारत में सरकारी राजकोषीय व्यवस्था जो कि देश के विकास के लिए आवश्यक है, उसे एक सहज कर प्रणाली के प्रयोग द्वारा अधिक उपयोगी बताया। किसानों के कर्ज से मौत के लिए कहीं न कहीं सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए कर मुक्त करने का प्रावधान भी किया। डॉ. अम्बेडकर के ऐसे विचार किसी भी समाज की प्रगति को तीव्र करने के लिए पर्याप्त है।

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक, राजनितिक और आर्थिक दृष्टिकोण का वर्तमान में सदुपयोग – डॉ. अम्बेडकर बहुत बड़े शिक्षाविद्, कानूनविद्, अर्धशास्त्रीय व राजनैतिक विद्वान् रहे। उनका चहुमुखी दृष्टिकोण भारत के लिए एक वरदान है। डॉ. अम्बेडकर के विचारों का अगर वर्तमान धरातल पर प्रयोग किया जाये तो यह भारत की प्रगति के लिए ईंधन का कार्य ही करेगा। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि भारत से भेदभाव, छुवाछुत समाप्त हो जैसा की वर्तमान में कमी तो दिखती है लेकिन उतना सुधार नहीं हो पाया जितना डॉ. अम्बेडकर चाहते थे। उनके इसी विचार को अब गति की आवश्यकता है। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विकास शिक्षा ही कर सकता है। अगर आज भारत की 95 वीं जनगणना पर दृष्टि डालें तो भारत की कुल साक्षरता का प्रतिशत 73% ही है, जो भारत की आजादी के बीते वर्षों से भी कम है। इस जनगणना में महिलाओं के साक्षरता की भागीदारी पुरुषों से कम है और पुरुष भी शतप्रतिशत साक्षर नहीं है, यह आकड़ें संतुष्टिपूर्ण नहीं हैं। भारत सरकार, संस्थान, समाज, परिवार व व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि भारत को शतप्रतिशत साक्षर बनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें। इसके लिए अम्बेडकर की शिक्षा उचित राह प्रदान कर सकती है अशिक्षा व्यक्ति को योग्य रोजगार नहीं दिलाता जिससे आर्थिक पिछड़ापन बना रहता है। आर्थिक रूप से मजबूत समाज के नीव से ही ऊँची व मजबूत इमारत रूपी देश का निर्माण हो सकता है। जिसमें उसके सभी आयाम— राजनितिक, सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक, व सांस्कृतिक को बेहतर स्थिति प्रदान की जा सकती है। व्यक्ति को स्वयं पर ध्यान देते हुए अपनी स्थिति में सुधार करते रहना चाहिए अधिक से अधिक शिक्षा, रोजगार के लिए स्वयं को मजबूत करना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर द्वारा संविधान में यह दृढ़ता से यह बात रखी गई कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों, समानता की रक्षा हो सके। यहाँ तक कि मत देने का आधार लिंग व जाति नहीं बल्कि वयस्क मताधिकार है। संविधान में दलित व पिछड़ों के आरक्षण की चर्चा की है लेकिन यह सकारात्मक भेदभाव को दर्शाता है न की स्थायी आरक्षण की बात कही है। डॉ. अम्बेडकर के एक-एक शब्द भारत की प्रगति के लिए उस कमान की तीर के समान है जो अन्याय व अत्याचारपूर्ण समाज की दुर्व्यवस्था पर प्रहार है। डॉ. अम्बेडकर के विचार का लाभ भारत के नागरिकों का सर्वांगीण उत्थान व विकास से परिपूर्ण है।

निष्कर्ष— डॉ. अम्बेडकर के विचार वो दिशा प्रदान करते हैं जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। आदर्श समाज के निर्माण में समाज के जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्तम्भ की आवश्यकता है वह इनके विचारों में उपलब्ध है। जिस समस्या के निदान की डॉ. अम्बेडकर बात करते हैं वह समस्या का निदान आवश्यक है क्योंकि यह समाज में एक ऐसे संक्रमण की तरह है अगर उसका समय रहते उपचार नहीं किया गया तो पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेगा और उसका परिणाम घातक होगा। डॉ. अम्बेडकर समय के उस दौर के थे जब समाज में छुआछुत, जातिवाद, वर्णव्यवस्था व अशिक्षा अपने चरम पर था और वे स्वयं दलित कहे जाने वाली जाति में जन्में थे, इसके उपरान्त उन्होंने उस समाज की स्थिति से संघर्ष करते हुए अपने को इस योग्य बनाया की संविधान के जनक कहलाये। इनके विचारों का धरातल पर प्रयोग समाज को वह पारदर्शिता प्रदान करेगा जिसका सपना हर भारतवासी देखता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

- अम्बेडकर, डॉ. बी.आर.एनिहिलेशन ऑफ कास्ट.
- "दि नेशनल पॉलिसी फॉर दि इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन", २००१"
- अम्बेडकर, डॉ.बी.आर.धर्मांतरण का संकल्प. पृष्ठ १०.

- प्रबुद्ध अर्धशास्त्र रूप— अम्बेडकर और उनकी आर्थिक दृष्टि “फॉरवर्ड प्रेस” (मासिक पत्रिका)
- भारत में जातियां
- वीसा की प्रतीक्षा
- अछूतों की विमुक्ति और गांधीजी, लखनऊ, १९८३
- राज्य और अल्पसंख्यक
- जाति का संहार
- अम्बेडकर, डॉ.बी.आर.(१९७६). राईटिंग एंड स्पीचेस. भाग १. बम्बई. पृष्ठ १६१.
- अम्बेडकर, डॉ. बी.आर.(१९४३). मि.गाँधी एंड द इमेनसिपेशन ऑफ अनटचेबिल्स. पृष्ठ ५३.
- Cultural India:- Reformer :- Dr. B.R. Ambedkar (www.culturalindia.net).
- Dr.B.R.Ambedkar :- Indian National Congress (www.inc.in)
- London School of Economics releases B. R. Ambedkar Archives, DNA India, 9 Feb. 2016.
- Dr. B. R. Ambedkar and His Economic thought (www.academia.edu).
- Ghuryes, G.S.,Caste and Class in India, Populer Book DEPORT, Bombay, 1961.